

## डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन मुकाम चौहटन  
व इजलास श्री भागीरथ राम II, आर.ए.एस.

अनवान

वादीगण -

1.आदूराम 2.देरामाराम पि.भीयाराम 3.सोनी पत्नि भीयाराम  
जाति जाट, निवासी भीलों का तला, तहसील चौहटन

बनाम

प्रतिवादीगण -

1.पीरा 2.धर्मा 3.श्रीराम पि. चैना, जाति जाट  
निवासी भीलों का तला, तहसील चौहटन  
4.शाखा प्रबन्धक एसबीआई भूणिया  
5.तहसीलदार चौहटन

वाद अर्न्तगत धारा 88,53,188 RT Act.

मुकदमा नं. 22 / 2020

अधिवक्तागण -

वादीगण वकील -

श्री रामजीवन विश्नोई

प्रतिवादीगण वकील -

एकतरफा

वाद अर्न्तगत धारा 88,53,188 RT Act.

मुकदमा नं. 22 / 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. न्यायालय बहाजरी श्री रामजीवन विश्नोई एड. मिनजानिब मुदाई व ..... एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा भीलों का तला, पटवार क्षेत्र नेहरों की नाडी में खसरा सं. 1034 रकबा 50.11 बीघा, खसरा सं. 1057 रकबा 00.12 बीघा एवं खसरा सं. 1058 रकबा 39.17 बीघा, कुल रकबा 91.00 बीघा आया हुआ है। उक्त विवादित खसरो की भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं। लगातार शेष पृष्ठ पर..... बीज ..... मबलिंग ..... बाबत ..... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ..... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक ..... को अदा करे।

दस्तावेज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 05.07.2022 को जारी की गई।



दस्तखत .....  
ओहदा

सहायक कलक्टर  
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

मुहर्	रूपया	वे	मुदायलाह	मीजान
स्टाम्प वकीलनामा स्टाम्प वकीलनामा स्टाम्प वकीलनामा पहमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वकील महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे ..... करना।

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्लियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	आदूराम 1/3, देरामाराम 1/3 पि. भीयाराम, सोनी पत्नि भीयाराम 1/3, कौम जाट सा.देह खातेदार रहन एसबीबीजे भूणिया	भीलों का तला	1034	12.13	बा.सो.	0.64	गुलाबी
			1057	00.03	गैमु	—	
			1058	09.19	बा.दो.	0.60	
			<b>योग</b>	<b>3</b>	<b>22.15</b>	—	<b>1.24</b>
2	पीरा 1/3, धर्मा 1/3, श्रीराम 1/3, पि.चेना, कौम जाट सा.देह	भीलों का तला	1034	37.18	बा.सो.	1.90	हरा
			1057	00.09	गैमु	—	
			1058	29.18	बा.दो.	1.79	
			<b>योग</b>	<b>3</b>	<b>68.05</b>	—	<b>3.69</b>

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।



(भागीरथ राम II)  
सहायक कलक्टर  
(फार्ड-ट्रेक), चौहटन  
(फार्ड-ट्रेक) चौहटन

## न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 22/2020

पीठासीन अधिकाारी - श्री भागीरथ राम II, आर.ए.एस

अनवान

वादीगण - 1.आदूराम 2.देरामाराम पि.भींयाराम 3.सोनी पत्नि भींयाराम  
जाति जाट, निवासी भीलों का तला, तहसील चौहटन

बनाम

प्रतिवादीगण - 1.पीरा 2.धर्मा 3.श्रीराम पि. चैना, जाति जाट  
निवासी भीलों का तला, तहसील चौहटन  
4.शाखा प्रबन्धक एसबीआई भूणिया  
5.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण - वादीगण वकील - श्री रामजीवन विश्नोई  
प्रतिवादीगण वकील - श्री एकतरफा

निर्णय

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act.


दिनांक :- 05.07.2022



न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार धनाऊ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जो शामिल पत्रावली किया गया । पत्रावली पेश हुई। वादीगण अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने तहसीलदार धनाऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया । उसी अनुसार निर्णय किया जावे ।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायाहित में तहसीलदार धनाऊ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौजा भीलों का तला, पटवार क्षेत्र नेहरों की नाडी में खसरा सं. 1034 रकबा 50.11 बीघा, खसरा सं. 1057 रकबा 00.12 बीघा एवं खसरा सं.

  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

1058 रकबा 39.17 बीघा, कुल रकबा 91.00 बीघा के आये हुए है। उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्लिदयत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किरम	लगान	बरंग
1	आदूराम 1/3, देरामाराम 1/3 पि. भीयाराम, सोनी पत्नि भीयाराम 1/3, कौम जाट सा.देह खातेदार रहन एसबीबीजे भूणिया	भीलों का तला	1034	12.13	बा.सो.	0.64	गुलाबी
			1057	00.03	गैमु	—	
			1058	09.19	बा.दो.	0.60	
			योग	3	22.15	—	1.24
2	पीरा 1/3, धर्मा 1/3, श्रीराम 1/3, पि.चेना, कौम जाट सा.देह	भीलों का तला	1034	37.18	बा.सो.	1.90	हरा
			1057	00.09	गैमु	—	
			1058	29.18	बा.दो.	1.79	
			योग	3	68.05	—	3.69

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा जावे। मौका रिपोर्ट व नक्शा निर्णय का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनोया गया।



(भागीरथ राम II)  
सहायक कलेक्टर  
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन